Press note

Brief note on Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018

Inspecting and auditing food businesses is a humongous task, hence in order to cultivate and foster the growth of compliance culture FSSAI is enabling compliance through Auditing Agencies. While emphasising on self-compliance by the food businesses, to address the need to monitor such compliance, FSSAI is envisaging introducing Audit of the food companies by FSSAI Recognised Auditing Agencies.

This Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018 includes the Procedure for recognition of Auditing Agencies, Procedure for Renewal/ Cancellation/Suspension of recognition, Terms and conditions of recognition, auditing procedure, Duties of auditors, Audit reporting and audit monitoring system.

Selected Food Categories on the basis of their risk classification will be subject to mandatory food safety Auditing. Food Businesses falling under such category would be required to get their businesses timely audited by recognised Auditing Agencies on their own. Food businesses which are not subject to mandatory auditing can also voluntarily opt for Auditing of their businesses.

Food Businesses having satisfactory audits may be subjected to less frequent inspection by Central or State licensing authorities. Hence, Third party Audits will reduce the burden on the regulatory inspection conducted by Central or State Licensing Authorities and also encourage the efficient self-compliance by the food businesses

These regulations will come into force on the date of their publication in the gazette of India.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 2018/भाद्र 7, 1940	
No. 328]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 29, 2018/BHADRA 7, 1940	

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2018

फा सं टी पी ए/01/रेग/एँफ़ एस एस ए आई-2017.—जबकि, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 के 34) की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 44 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2017 उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्यांक फा. सं. टीपीए / 01 / आरईजी / एफएसएसएआई-2017 तारीख 12 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, धारा 4 में , उन व्यक्तियों से आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना के अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रति जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले, प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 18 अक्टूबर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियम के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः,अब खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण , उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 44 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -:

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन विनयमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

भाग-I
साधारण

2. परिभाषाएं - (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

क) "अधिनियम" से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) अभिप्रेत है;

ख) "प्रत्यायन " – का अर्थ है कि विशिष्ट अनुरूपता निर्धारण कार्य को निष्पादित करने के लिए इसकी क्षमता के औपचारिक प्रदर्शन को प्रवाहित करने वाले अनुरूपता निर्धारण निकाय से सम्बंधित तीसरे पक्ष के प्रमाणन से है;

ग) "प्रत्यायन निकाय" – का अर्थ है कि एक प्राधिकरण है जो प्रमाणन करता है;

घ) " संपरीक्षा रिपोर्ट" या "खाद्य सुरक्षा संपरीक्षा रिपोर्ट" से संपरीक्षा के अवलोकन, निष्कर्ष और निष्कर्ष के लिखित अभिलेख से अभिप्रेत है;

ङ) "संपरीक्षण अभिकरण " – से इन विनियमों के अनुसरण में खाद्य सुरक्षा संपरीक्षा उपक्रम के लिए खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संपरीक्षण अभिकरण से अभिप्रेत है;

च) प्रारूप से इन विनियमों से संलग्न प्रारूप से अभिप्रेत है।

(2) जिन शब्दों और पदों के, जो इसमे प्रयुक्त है और इन विनियमों में परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम में है।

भाग-II
संपरीक्षण अभिकरण की मान्यता

3. संपरीक्षण अभिकरण की मान्यता के लिए मानदंड. - (1) खाद्य प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा की संपरीक्षा परीक्षा करने के उद्देश्य से, संपरीक्षण अभिकरण को मान्यता प्रदान कर सकता है जो निम्नलिखित मानदंडों के अनुरूप हो, अर्थात्: -

(क) यह तत्समय प्रवृत विधि के अनुसार स्थापित या पंजीकृत हो;

(ख) संपरीक्षण अभिकरण के पास खाद्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित विनिर्दिष्ट खाद्य प्रवर्गो के लिए नेशनल एक्रडीएसन बोर्ड ऑफ़ सर्टिफिकेशान बॉडीज से विधिमान्य प्रबंधन प्रणाली प्रमाणीकरण के लिए आईएसओ/आईसी 17020 या आईएसओ/आईइसी 17021 या आईएसओ/टीएस 22003 वैध प्रत्यायन होनी चाहिए:

परन्तु, खाद्य प्राधिकरण किसी भी संपरीक्षण अभिकरण पर विचार कर सकेगा जो किसी अन्य प्रत्यायन निकाय द्वारा प्रत्यायित हो, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम का सदस्य हो और प्रबंधन प्रणाली के प्रमाण पत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम के बहुपक्षीय प्रत्यायन व्यवस्था का हस्ताक्षरकर्ता हो परन्तु इस शर्त के अधीन है कि वह नेशनल एक्रडीएसन बोर्ड ऑफ़ सर्टिफिकेशान बॉडीज के प्रत्यायन के लिए आवेदन करेंगे। इस तरह की एजेंसी को तब तक अस्थायी रूप से मान्यता दी जा सकती है जब तक कि यह मान्यता प्राप्त नहीं हो जाता है।

परन्तु यह और कि संपरीक्षण अभिकरण जो प्रमाणन निकायों के लिए नेशनल एक्रडीएसन बोर्ड ऑफ़ सर्टिफिकेशान बॉडीज से प्रत्यायन के लिए आवेदन कर चुकी है, भी मान्यता के लिए आवेदन कर सकती है, लेकिन इसे प्रत्यायन प्राप्त होने के बाद ही इसे मान्यता दी जाएगी।

(ग) इसके पास कम से कम तीन संपरीक्षक होने चाहिए जो कि निम्नलिखित अहर्ताओ को पूरा करते हों, अर्थात:-

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य या डेयरी या मत्स्य पालन या तेल प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या कृषि या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव-रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या होटल प्रबंधन या आहार प्रबंधन प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री;

(ii) खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में मान्यता प्राप्त लीड ऑडिटर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो;

(iii) अधिनियम और इसके अधीन विभिन्न नियमों और विनियमों का ज्ञान;

(iv) क्षेत्र विशेष की स्वच्छ और सफाई प्रथाओं, प्रसंस्करण तकनीकों, खतरों की पहचान, विश्लेषण और नियंत्रण के साथ-साथ दूषित पदार्थों, प्रत्यूर्जन क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान;

(v) कम से कम दस संपरीक्षण के साथ दो साल का कार्य अनुभव।

(2) कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए खाद्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायन के लिए मानदंडों को शिथिल किया जा सकता है।

4. मान्यता देने की प्रक्रिया- (1) मान्यता प्राप्त करने के लिए कोई भी संपरीक्षण अभिकरण पांच हजार रुपये की फीस और अपेक्षित दस्तावेजो के साथ प्रारूप 'क' में आवेदन कर सकती है।

(2) खाद्य प्राधिकरण आवेदन की जांच करेगा और किसी भी कमी के मामले में, इस तरह के आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर परिशुद्धि या पूरक जानकारी के लिए आह्वान करेगा।

(3) संबंधित संपरीक्षण अभिकरण सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर पूरक जानकारी के परिशुद्धि या पूरक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, जिसमें विफलता पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(4) खाद्य प्राधिकरण संपरीक्षण अभिकरण की प्रत्यायन के लिए समय समय पर एक जाँच समिति का गठन करेगी।

(5) संतुष्ट होने पर कि संपरीक्षण अभिकरण इन विनियमों में उल्लिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है, खाद्य प्राधिकरण आवेदन जाँच समिति के समक्ष खाद्य प्राधिकरण को इसकी मान्यता के सन्दर्भ में अनुशंसा के लिए रखा जाएगा।

5. मान्यता के निबंधन और शर्तें- (1) जाँच समिति की अनुशंसा पर और तीस हजार रुपये की मान्यता शुल्क जमा करने के बाद, खाद्य प्राधिकरण प्रारूप 'ख' में मान्यता प्रमाणपत्र जारी करके संपरीक्षण अभिकरण को मान्यता दे सकता है:

परन्तु जाँच समिति, यदि आवश्यक समझे, तो मान्यता के लिए सिफारिश करने से पहले लेखा परीक्षा एजेंसी के संपरीक्षकों का मूल्यांकन कर सकती है।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन मान्यता प्रदान करने का प्रमाण पत्र तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।

(3) किसी भी मान्यता प्राप्त संपरीक्षण अभिकरण में विशेषज्ञता क्षेत्र बदलाव के लिए प्रारूप क में आवश्यक दस्तावेज और पांच हजार रुपये की फीस के साथ आवेदन कर सकती है।

(4) मान्यता का प्रमाणपत्र विनियम 7 में विनिर्दिष्ट किन्ही आधारों पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा निलंबन या निरस्तीकरण के लिए दायी होगा।

6. नवीकरण की प्रक्रिया (1) संपरीक्षण अभिकरण मान्यता प्रमाण पत्र के नवीकरण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट तिथि की समाप्ति के कम से कम साठ दिन अपश्चात पांच हजार रुपये की फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं।

(2) खाद्य प्राधिकरण मान्यता प्रमाण पत्र के नवीकरण करने से पूर्व निम्नलिखित को संदर्भित करेगा,अर्थात:-

(क) संपरीक्षण अभिकरण विनियमन 3 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करती रही है;

(ख) पिछली वैधता अवधि के दौरान संपरीक्षण अभिकरण का प्रदर्शन;

(ग) वैधता की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों, यदि कोई हो।

(घ) मूल्यांकन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश।

(3) संतुष्ट होने पर और तीस हजार रुपये की मान्यता शुल्क जमा करने के बाद, खाद्य प्राधिकरण संपरीक्षण अभिकरण की मान्यता का और तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण करेगा।

7. मान्यता का निरस्तीकरण या निलंबन- (1) खाद्य प्राधिकरण संपरीक्षण अभिकरण को प्रदान की गई मान्यता को निम्नलिखित आधार पर निरस्त या निलंब कर सकती है अर्थात,-

(i) संपरीक्षण अभिकरण को एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो;

(ii) संपरीक्षण अभिकरण संतोषजनक रूप से या इन विनियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों को निष्पादित करने में विफल रही हो;

(iii) संपरीक्षण अभिकरण ने तात्विक सूचना को दबा दिया हो या कपट किया हो;

(iv) संपरीक्षण अभिकरण, संपरीक्षण अभिकरण के रूप में प्रत्यायित रहने में असक्षम हो गई हो;

(v) संपरीक्षण अभिकरण अपने मूल्यांकन या जाँच के लिए खाद्य प्राधिकरण को अपने अभिलेख उपलब्ध कराने और आवश्यक सूचना देने में असफल रही हो;

(vi) संपरीक्षण अभिकरण खाद्य प्राधिकरण द्वारा यथा निदेशित सुधार के उपाय, यदि कोई हो, समय पर करने में असफल रही हो;

(vii) संपरीक्षण अभिकरण के आचरण सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों पर जाँच समिति की अनुशंसा पर;

(viii) संपरीक्षण अभिकरण ने हित के संघर्ष के संबंध में मिथ्या सूचना दी हो;

(2) जहां खाद्य प्राधिकरण संतुष्ट है, कि एक संपरीक्षण अभिकरण को दी गई मान्यता निलंबित या निरस्त करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे संपरीक्षण अभिकरण की मान्यता को निलंबित या निरस्त करने के लिए एक कारण कारण नोटिस जारी कर सकता है

(3) संपरीक्षण अभिकरण खाद्य प्राधिकरण को अपना जवाब अपने निलंबन या निरस्तीकरण के प्रस्ताव के संबंध में प्राप्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने पर खाद्य प्राधिकरण के द्वारा प्रत्यायन के प्रमाण पत्र को निरस्त या निलंबित करने का निर्णय लिया जाएगा।

(4) खाद्य प्राधिकरण संपरीक्षण अभिकरण द्वारा फाइल किये गए जवाब पर विचार करने के बाद उसके जवाब की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार उचित आदेश जारी करेगी ।

(5) जंहा खाद्य प्राधिकरण ने मान्यता निलंबित कर दी हो, यदि संपरीक्षण अभिकरण द्वारा इन विनियमों के अनुसार सुधार कर लिए हो ये उसके निलंबन को रद्द कर सकती है।

(6) जंहा खाद्य प्राधिकरण ने मान्यता निरस्त कर दी हो, संपरीक्षण अभिकरण खाद्य प्राधिकरण को निरस्तीकरण के 6 माह की अवधि के बाद प्रत्यायन के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(7) खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण अभिकरण की प्रत्यायन संस्था द्वारा उसका प्रत्यायन रद्द कर दिए जाने पर उसकी मान्यता निलंबित/निरस्त मानी जाएगी।

(8) संपरीक्षण अभिकरण, जो मान्यता को निरस्त या निलंबन के आदेश से असंतुष्ट है वह केंद्रीय सरकार को अपील कर सकती हैं।

भाग-III
संपरीक्षण प्रक्रिया

8. संपरीक्षण प्रक्रिया - (1) खाद्य प्राधिकरण जोखिम वर्गीकरण के आधार पर ऐसी खाद्य प्रवर्गो या प्रकार के खाद्य व्यापारों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनकी खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण कराना आज्ञापक होगा।

(2) उप-विनियमन (1) के उद्देश्य के लिए यह खाद्य व्यापारों का वर्गीकरण प्रमुख जोखिम कारकों जैसे खाद्य का प्रकार, आशयित ग्राहक उपयोग, व्यापार की गतिविधि की प्रकृति, व्यापार की मात्रा, प्रसंस्करण की विधि और अन्य ऐसे कारक जिसे खाद्य प्राधिकरण आवश्यक समझे के आधार पर किया जाएगा।

(3) एक खाद्य व्यापार जो उप-विनियमन (1) के अधीन अनिवार्य रूप से खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण का विषय है, ऐसे खाद्य व्यापार को खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण खाद्य प्राधिकरण के आदेश द्वारा निर्दिष्ट अन्तराल पर करना होगा।

(4) एक खाद्य व्यापार जिसके लिए सुरक्षा संपरीक्षण करवाना अनिवार्य नहीं है किन्तु वह फिर भी मान्यता प्राप्त सम्परोक्षण अबिक्रण से संपरीक्षण करवाना चाहते हैं तो वे इस विकल्प को भी चुन सकते हैं।

(5) ऐसे खाद्य व्यापार जिनकी खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण रिपोर्ट संतोषजनक रही है उनमें केंद्रीय या राज्य अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा विनियामक उद्देश्यों को छोड़कर निरीक्षण की बारम्बारता को घटाया जा सकता है :

परन्तु खाद्य व्यापार के विरुदृ कोई शिकायत की दशा में या खाद्य प्राधिकरण के संज्ञान में यह आने पर कि जनता का स्वास्थय और सुरक्षा खतरे में है तो खाद्य प्राधिकरण इस तरह के निरिक्षण बारम्बार में करवायेगा।

(6) खाद्य व्यापारकर्ता की खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली संपरीक्षण प्रक्रिया आईएस/आईएसओ 19011:2011 (संपरीक्षण प्रबंधन प्रणाली के लिए जारी दिशानिर्देशों) पर आधारित होगी।

9. संपरीक्षण परीक्षा- (1) संपरीक्षण परीक्षा में वस्तुनिष्ठ साक्ष्य इकट्ठे करना और इकट्ठे किये या साक्षात्कार से प्राप्त संपरीक्षण अवलोकन दर्ज करना और कागजात की जाँच और गतिविधियों के अवलोकन शामिल हैं।

(2) जहां कहीं भी कमियों या अपालन की स्थिति पाई जाए, उनका स्पष्ट और संक्षिप्त अभिलेख रखा जाना चाहिए और विनियमों की जिन अपेक्षाओं का उल्लंघन किया गया है उनका वर्णन किया जाना चाहिए।

(3) संपरीक्षण प्रक्रिया के दौरान संपरीक्षण अभिकरण इस बात को सत्यापित करेगी कि खाद्य कारोबार न केवल खाद्य सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं का पालन कर रहा है, बल्कि यह भी कि उत्पाद के विशिष्ट प्रतिचयन और प्रयोगशाला विश्लेषण की अपेक्षा करने वाले विनियमों को छोड़कर लागू अधिनियम के अधीन बने नियम और विनियमों का अनुपालन भी कर रहा है और खाद्य कारोबार प्रचालक द्वारा बनाए गए प्रयोगशाला रिपोर्टों के सम्बंधित सुसंगत कागजात की जाँच करे।

10. संपरीक्षको के कर्तव्य : संपरीक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा अर्थात,-

(i) खाद्य कारोबारी का खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण करना।

(ii) अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के खाद्य व्यापार संचालक द्वारा अनुपालन की पुष्टि करना।

(iii) खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किए जाने पर नए स्थापित खाद्य कारोबार इकाई के प्रारम्भ होने सेपूर्व निरीक्षण करना।

(iv) वाणिज्यिक-सह-गोपनीय सामग्री के संबंध में गोपनीयता बनाए रखें, जिसमें प्रक्रिया और उत्पाद निर्माण जानकारी, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की जानकारी और संपरीक्षण परिणाम शामिल हो सकते हैं।

(v) खाद्य प्राधिकरण को संपरीक्षण रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण करने के पंद्रह दिन के भीतर प्रेषित करना।

(vi) संपरीक्षण के दौरान पहचाने गए ऐसे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की किसी भी कमी को दूर करने के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए क्या किया गया है, यह सत्यापित करने के लिए आगे के संपरीक्षण सहित आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।

(vii) खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण के दौरान गोपनीयता बरतना।

(viii) कोई अन्य कर्तव्य जिसे खाद्य प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

11. संपरीक्षण रिपोर्ट - (1) संपरीक्षक संपरीक्षण पूरा होने के बाद, संपरीक्षण के दौरान देखी गई कमियों या गैर-अनुरूपताओं के खाद्य करोबारी को सूचित करेगा और संपरीक्षण रिपोर्ट को पूरा करने के लिए आवश्यक कोई और जानकारी या स्पष्टीकरण प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा और इसे संपरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाएगा।

(2) जब एक बड़ी गैर-अनुरूपता होती है जो खाद्य करोबारी की खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में गंभीर विफलता होती है और इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य पर प्रतिकूल परिणाम होता है जो संभवतः घातक हो सकता है, तो संपरीक्षक केंद्रीय अनुज्ञप्ति प्राधिकरण या राज्य अनुज्ञप्ति प्राधिकरण को ऐसे निष्कर्षों की रिपोर्ट चौबीस घंटे के भीतर करेगा।

(3) जब एक मामूली गैर-अनुरूपता है जो खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में कमी या खाद्य करोबारी के विनियामक उल्लंघन है और इससे कोई प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणाम नहीं हो सकता है, तो संपरीक्षक इसके सुधार के लिए 30 दिनों से अनअधिक समय का उपयुक्त समय सीमा निर्धारित करेगा और अनुवर्ती करेगा, ताकि गैर-अनुरूपता को सुधार दिया जा सके।

(4) निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मामूली गैर अनुरूपता को सुधारने के लिए खाद्य व्यापार ऑपरेटर द्वारा की गई विफलता यथास्थिति केंद्रीय या राज्य अनुज्ञप्ति प्राधिकरणों को संदर्भित की जाएगी ।

(5) संपरीक्षण अभिकरण संपरीक्षण के पूरा होने के तुरंत बाद संपरीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि खाद्य करोबारी को प्रस्तुत करेगी और संपरीक्षण रिपोर्ट को यथास्थिति केन्द्रीय अनुज्ञप्ति प्राधिकरण या राज्य अनुज्ञप्ति प्राधिकरण को पंद्रह दिनों के भीतर अग्रेषित करेगी, जिसमे सुधार के लिए निष्कर्षों या गैर-अनुरूपताओं या चिंताओं और अवलोकनों को स्पष्ट रूप से सामने लाया जायेगा।

(6) संपरीक्षक अपने संपरीक्षण के आधार पर केन्द्रिय या राज्य अनुज्ञप्ति प्राधिकरण को लिखित में कारण बताते हुए खाद्य कारोबारी के संपरीक्षण की आवृति में परिवर्तन की सिफारिश कर सकता है।

12. हितों का संघर्ष – (1) संपरीक्षण अभिकरण किसी भी खाद्य व्यापारी का खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण करने से पूर्व अनुसूची के प्रारूप 'ग' में एक उद् घोषणा।

(2) किसी भी संपरीक्षण अभिकरण की मान्यता को खाद्य प्राधिकरण द्वारा हितों के संघर्ष के संबंध में मिथ्या सूचना देने पर तुरंत रद्द या निलंबित कर दिया जाएगा।

भाग-IV
संपरीक्षण निगरानी प्रणाली

13. संपरीक्षण निगरानी- (1) खाद्य प्राधिकरण मान्यता प्राप्त संपरीक्षण अभिकरण के कार्यों पर निम्नलिखित रीति से निगरानी करेगी, अर्थात:-

(i) निगरानी तंत्र में संपरीक्षण रिपोर्टों और कार्यों का पुनर्विलोकन, संपरीक्षको की खाद्य सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों के संपरीक्षण करने की और नियामक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने की योग्यता के मूल्यांकन लिए संपरीक्षको के स्थल मूल्यांकन का आयोजन; निकाय की रिपोर्ट के आधार पर संपरीक्षण अभिकरण का मूल्यांकन और खाद्य प्राधिकरण द्वारा विर्निदिष्ट कोई भी अन्य तंत्र शामिल है ।

14. विवाद निस्तारण- (i) संपरीक्षको के साथ किसी भी विवाद या असहमति के मामले में केंद्रीय या राज्य अनुज्ञप्ति प्राधिकरण खाद्य कारोबारी के लिए संपर्क बिंदु होंगे।

(ii) खाद्य कारोबारी द्वारा संपरीक्षण अभिकरण या लेखा परीक्षकों के कामकाज के लिए किसी भी असहयोग या प्रतिरोध के मामले में, इसे केंद्रीय या राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को समाधान के लिए संदर्भित किया जाएगा।

15. अभिलेख का रख रखाव- (i) किए गए संपरीक्षण से संबंधित अंतिम अनुरूपता रिपोर्ट और अन्य सभी दस्तावेजो को, जिनमें प्रथम संपरीक्षण रिपोर्ट, सुधार के लिए की गई कार्रवाइयाँ और उत्तरवर्ती पत्राचार शामिल हैं, संपरीक्षण अभिकरण द्वारा कम से कम पाँच वर्ष तक संभाल कर रखे जाएँगे और उनको पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

(ii) खाद्य कारोबार प्रचालक संपरीक्षण परिणामों और किए गए सुधारों के सभी अभिलेख कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखेगा।

अनुसूची

प्रारूप क

(उप-विनियम 4*(1),5(3) और 6(1) देखें*)

संपरीक्षण अभिकरण की मान्यता /नवीनीकरण/ विशेषज्ञता क्षेत्र परिवर्तन के लिए आवेदन

फोटो संपरीक्षण अभिकरण की स्थिति में प्राधिकृत हस्ताक्षरी

1) संपरीक्षण अभिकरण का नाम:	
2) संपर्क व्यक्ति का नाम:	
3) पता (पिन कोड सहित):	
4) संपर्क विवरण क) दूरभाष सं (एसटीडी कोड सहित) ख) संपर्क व्यक्ति के संगठन का ईमेल/संगधन का वेबसाईट का पता (यदि कोई हो)	
5) विधिक अस्तित्व कि प्रस्थिति (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें।):	
6) प्रत्यायन प्रमाण संबंधी विवरण (प्रति संलग्न करें):	प्रमाण पत्र सं. :
	विधि प्रत्यायन की तिथि :

<table>
<tr><td>7) कार्य की विशेषज्ञता का क्षेत्र</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>8) नामंकित लेखा परीक्षकों का विवरण
(प्रति संलग्न करे)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>9) संपरीक्षकों की शैक्षिक योग्यता</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">10) संपरीक्षकों के प्रशिक्षण का विवरण
(प्रमाण पत्र की प्रति)</td><td rowspan="3">क्र.सं</td><td rowspan="3">पाठ्यक्रम का नाम</td><td rowspan="3">संचालक /संगठन का नाम और पता</td><td colspan="2">तारीख</td></tr>
<tr><td>से</td><td>तक</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11) पिछले दो वर्ष में संचालित निरीक्षण/संपरीक्षण अभिलेख (खाद्य प्रवर्गों के अनुसार)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>12) खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण की क्षमता के संबंध में कोई अन्य सूचना</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>13) मान्यता संख्या
(नवीकरण के मामले में)</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

मैं(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)................................ सुपुत्र/ श्री सुपुत्री ....निवासी..............निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा यहाँ दिए गए सभी विवरण और सभी सूचनाएँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और ठीक हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे अथवा मेरे संपरीक्षकके माध्यम से की जाने वाली खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 के अनुरूप होगी।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर सहित हस्ताक्षर

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

क) आवेदन फीस की रसीद / डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर

ख) प्रत्यायन प्रमाणपत्र

ग) सभी लेखा परीक्षकों की अहर्ता संबंधी प्रमाण पत्र

घ) अग्रता संपरीक्षकपाठ्यक्रम प्रमाण पत्र

ङ) गोपनीयता संबंधी करार

च) प्रत्यायन निकाय की पिछली निर्धारण रिपोर्ट की प्रति

छ) सभी संपरीक्षकों के उद्योग में संपरीक्षण अनुभव के विवरण

प्रारूप ख

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक

मान्यता सं...................

मान्यता प्रमाण पत्र-
(विनियम 5 देखे)

प्रमाणित किया जाता है कि ....(संपरीक्षण अभिकरण का नाम) को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त खाद्य कारोबारियों की संपरीक्षण के लिए स्वीकृति दी गई है और यह खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 अधीन है।

संपरीक्षण अभिकरण का नाम और पता	को जारी किया गयाको / नवीनीकृत किया गया	तक विधिमान्य	विशेषज्ञता क्षेत्र

टिप्पण- इस प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाये। इस प्रमाणपत्र का जान बूझ कर दुरूपयोग करने पर इसे बिना कोई पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जायेगा।

निदेशक के मुहर सहित हस्ताक्षर

प्रारूप ग

घोषणा

[विनियम 12 का उप-विनियम (i) *देखें*]

मैं .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री........................घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेसर्स ...., जिसकि अनुज्ञप्ति सं ....है, का खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण मेरे संपरीक्षण अभिकरण द्वारा किया गया है इस सन्दर्भ में मै एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि:

क) मेरेपरीक्षक /संपरीक्षण अभिकरण या इसका कोई भी कार्मिक/संपरीक्षक ने उक्त खाद्य कारोबारी को तथा इसकी किसी मूल या सहायक संस्था का पिछले दो वर्षों में किसी भी प्रकार का कोई प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, खाद्य सुरक्षा प्रमाणन और परामर्श कार्य नहीं किया है और उसका आंतरिक संपरीक्षण भी नहीं किया है।

ख) मेरी संपरीक्षण अभिकरण या इसके कोई भी कार्मिक/संपरीक्षक मूल या सहायक संस्था के स्वामी नहीं हैं अथवा उनका इसमें कोई वित्तीय हित नहीं है और उनका इसके प्रबंधन या नियंत्रण से कोई भी संबंध नहीं है।

ग) मेरी संपरीक्षण अभिकरण या इसके कोई भी कार्मिक/संपरीक्षक को उक्त खाद्य व्यापारी के द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान नियोजित नहीं किया गया है।

घ) मेरी संपरीक्षण अभिकरण ने उक्त खाद्य कारोबारी का खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण तीन सतत संपरीक्षण से अधिक संपरीक्षण नहीं किया गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/संपरीक्षक के हस्ताक्षर मुहर सहित

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन/III/4/असा/205/18]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August , 2018

F.No. TPA/01/REG/FSSAI-2017.—Whereas, in exercise of the power conferred by clause (c) od sub-section (2) of section 16 read with section 44 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) the Draft Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2017, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act, vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number File No. TPA/01/REG/FSSAI-2017 dated the 12th October, 2017, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 18th October, 2017;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 16 read with section 44 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations, namely:-

Regulations

1. Short title and commencement- (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Part-I
GENERAL

2. Definitions. - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006);

(b) "accreditation" means a third party attestation related to a conformity assessment body conveying formal demonstration of its competence to carry out specific conformity assessment task;

(c) "accreditation body" means an authority that performs accreditation;

(d) "audit report" or "food safety audit report" means a written record of the observations, findings and conclusion of the audit;

(e) " auditing agency" means an auditing agency recognised by the Food Authority for undertaking food safety audit in accordance with these regulations;

(f) "form" means a form appended to these regulations.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

Part-II
RECOGNITION OF AUDITING AGENCY

3. Criteria for granting recognition to auditing agencies.- (1) Food Authority may, for the purpose of carrying out food safety audit, grant recognition to auditing agencies which conform to the following criteria, namely:-

(a) it is established or registered in accordance with the law for the time being in time;

(b) it holds a valid accreditation on ISO/IEC 17020 or ISO/IEC 17021 or ISO/TS 22003 from National Accreditation Board for Certification Bodies for Management System Certification, for the required food categories specified by the Food Authority:

Provided that the Food Authority may consider auditing agency which are accredited by any other accreditation body which is a member of the International Accreditation Forum and signatory to the International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangements for Management System Certification subject to the condition that they shall apply for National Accreditation Board for Certification Bodies accreditation. Such agency may be recognised provisionally till the time it has been so accredited.

Provided further that auditing agency which has applied for accreditation from National Accreditation Board for Certification Bodies may also apply for recognition, but it shall be granted recognition only after it has been so accrediated.

(c) it has atleast three auditors with the following qualifications and requirements, namely:-

(i) Bachelor's degree in Food or Dairy or Fisheries or Oil Technology or Biotechnology or Agriculture or Veterinary Sciences or Bio-chemistry or Microbiology or Chemistry or Hotel management or Catering technology from a recognised university;

(ii) successful completion of Accredited Lead Auditor course in Food Safety Management System;

(iii) knowledge of the Act and the rules and regulations made thereunder;

(iv) sector specific knowledge of hygienic and sanitary practices, processing techniques, hazards identification and analysis and control and knowledge of contaminants and allergens;

(v) work experience of two years with a minimum of ten audits carried out.

(2) The criteria for recognition may be relaxed by the Food Authority for the reasons to be recorded in writing.

4. Procedure for recognition.- (1) Any auditing agency seeking recognition may make an *application in Form A along with requisite documents and fees of rupees five thousands.*

(2) The Food Authority shall scrutinise the application and in case of any deficiency, call for rectification or supplementary information within thirty days from the date of receipt of such application.

(3) The auditing agency concerned shall take necessary steps for rectification or furnishing of supplementary information within fifteen days of receipt of the communication failing which the application shall be rejected by the Food Authority.

(4) The Food Authority shall constitute a Screening Committee for granting recognition to the auditing agency.

(5) On being satisfied that the auditing agency fulfills all requirements as specified in these regulations, the Food Authority shall place the application before the Screening Committee for recommending to it on grant of recognition.

5. Terms and conditions of recognition.- (1) On the recommendation of the Screening Committee and after the deposit of recognition fees of rupees thirty thousands, the Food Authority may grant recognition to the auditing agency by issuing a Certificate of Recognition in Form 'B' :

Provided that the screening committee may, if it deems necessary, conduct an assessment of the auditors of the auditing agency before recommending for recognition.

(2) The Certificate of Recognition granted under sub- regulation (1) shall be valid for a period of three years.

(3) Any recognised auditing agency seeking change in the scope may apply for the same *in Form A along with requisite documents and fees of rupees five thousands.*

(4) The Certificate of Recognition may be suspended or cancelled by the Food Authority on any of the grounds specified in regulation 7.

6. Procedure for renewal.- (1) The auditing agency may make an application for renewal of Certificate of Recognition not later than sixty days prior to the date of expiry specified in the Certificate of Recognition along with renewal fee of rupees *five thousands*.

(2) The Food Authority shall before renewing the Certificate of Recognition, have regard to the following, namely:-

(a) the auditing agency continues to meet the criteria specified in regulation3;

(b) the performance of the auditing agency during the previous validity period;

(c) the complaints, if any, received during the period of validity.

(d) the recommendation of the Screening Committee for evaluation.

(3) On being satisfied and after depositing of recognition fees of rupees thirty thousands, the Food Authority shall renew the Certificate of Recognition for a further period of three years.

7. suspension or cancellation of recognition.- (1) The Food Authority may suspend or cancel the recognition granted to the auditing agency on any of the following grounds, namely,-

(i) the auditing agency has been declared insolvent by a competent authority;

(ii) the auditing agency has failed to performs its duties satisfactorily or in accordance with these regulations;

(iii) the auditing agency has suppressed material information or committed fraud;

(iv) the auditing agency has become incompetent to continue to be accredited as auditing agency;

(v) the auditing agency has failed to provide access to their records and furnish necessary information to the Food Authority to conduct the assessment or investigation;

(vi) the auditing agency has failed to take timely and necessary corrective measures, if any, as directed by the Food Authority;

(vii) the recommendation of the Screening Committee on of the complaints received regarding conduct of the auditing agency;

(viii) the auditing agency has provided false information with regard to conflict of interest.

(2) Where the Food Authority is satisfied that the recognition granted to an auditing agency is liable to be suspended or cancelled may issue a show cause notice to such auditing agency for suspension or cancellation of recognition.

(3) The auditing agency shall file its reply to the Food Authority within fifteen days from the date of receipt of the show cause notice,failing which the decision to cancel or suspend recognition shall be taken by the Food Authority.

(4) The Food Authority shall consider the reply filed by the auditing agency and pass such order as it deems fit, within thirty days of the receipt of the reply of the auditing agency.

(5) Where the Food Authority has suspended recognition , it may revoke the suspension if the auditing agency has taken necessary corrective measures in accordance with these regulations.

(6) Where the Food Authority has cancelled the recognition, the auditing agency shall make a fresh application to the Food Authority for grant of recognition after a period of six months from the date of such cancellation.

(7) The recognition of the auditing agency shall be deemed to be suspended or cancelled, if its accreditation is suspended or cancelled by its accreditating body.

(8) The auditing agency may file an appeal to the Central Government, if it is aggrieved by the order of suspension or cancellation of recognition.

Part-III

AUDITING PROCEDURE

8. Audit process.- (1) The Food Authority shall specify the category or type of food businesses which shall be subject to mandatory food safety auditing, on the basis of their risk classification.

(2) For the purpose of sub-regulation (1) the classification of food businesses shall be made having regard to the major risk factors including food type, intended customer use, nature of activity of the business, volume of the business, method of processing and such other factors as the Food Authority may deemed necessary.

(3) A Food business which is subject to mandatory food safety auditing under sub-regulation (1) shall get its business audited by a recognized auditing agency of such intervals as the Food Authority may by order specify.

(4) A Food business which is not subject to mandatory food safety auditing, but desirous of getting audited by a recognized auditing agency , may opt for the same.

(5) A Food business having satisfactory food safety audits report may be subject to less frequent inspections by the Central licensing authority or the State licensing authority:

Provided that in case of any complaints against the food businesses or when it comes to the knowledge of the Food Authority that the public health and safety is at risk, the Food Authority shall undertake more frequent inspections.

(6) The audit process for assessing the food safety management system of a Food Business Operator shall be based on IS/ISO 19011:2011 (Guidelines for auditing management systems).

9. Audit examination.- (1) An audit examination shall include collection of objective evidence and recording of audit observations collected or made through interviews, examination of documents and activities.

(2) The deficiencies or non-conformities observed by the auditing agency shall be recorded clearly and concisely, pointing out the regulatory requirements that are being contravened.

(3) During the audit process, the auditing agency shall verify the compliance not only with the food safety measures, but also with the provisions of the Act and the rules and regulation made thereunder, except those which require specific sampling and laboratory analysis of the products and also verify relevant documents relating to laboratory reports maintained by the Food Business Operator.

10. Duties of auditors.-The auditor shall perform the following duties, namely,-

(i) conduct food safety audit of Food Business Operator ;

(ii) verify the compliance by the Food Business Operator of the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder;

(iii) conduct pre-commissioning inspection of newly established food business unit, as and when directed by the Food Authority;

(iv) maintain confidentiality in respect of commercial-in-confidence materials, which may include process and product formulation information, food safety programme information and audit outcomes;

(v) forward the audit report to the Food Authority within fifteen days of the conduct of food safety audit;

(vi) carry out necessary follow-up action, including further audits, to verify if any corrective action has taken to remove any deficiency of such food safety program identified during the audit;

(vii) maintain confidentiality of food safety audit;

(viii) such other duties as may be directed by the Food Authority.

11. Audit report.- (1) The auditor shall after the completion of the audit, inform the Food Business Operator of the deficiencies or the non-conformities observed during the audit and give an opportunity to provide any further information or clarification required for completion of audit finding and reflect the same in the audit report.

(2) When there is a major non-conformity which is a serious failure in the food safety management system of the Food Business Operator and may result in adverse health consequence possibly even fatal, the auditor shall report such findings to the Central Licensing Authority or State Licensing Authority within twenty four hours.

(3) When there is a minor non-conformity which is shortcoming in the food safety management system or regulatory contravention of the Food Business Operator and may not cause any adverse health consequence, the auditor shall set up an appropriate timeframe of not more than 30 days for its rectification and follow up, so that the non-conformance could be rectified.

(4) Failure by food business operator to rectify the minor non conformity within the specified timeframe shall be referred to the Central or State Licensing Authorities, as the case may be.

(5) The auditing agency shall submit a copy of audit report to the Food Business Operator immediately after completion of the audit and forward audit report to the Central Licensing authority or State Licensing authority, as the case may be within fifteen days clearly bringing out the findings or non-conformities or concerns and observations for improvement.

(6) The auditor may recommend in writing the reasons for the change in audit frequency of the food business operator to the Central Licensing Authority or State Licensing Authority based on the audit.

12. Conflict of interest. – (1) The auditing agency shall give a declaration in Form 'C' of the schedule before accepting food safety audit of a Food Business Operator.

(2) The recognition of any auditing agency shall be suspended or cancelled immediately by the Food Authority on the event of providing false information on conflict of interest.

Part-IV

AUDIT MONITORING SYSTEM

13. Audit monitoring .- (1) The Food Authority shall monitor the performance of the recognized auditing agency in the following manner, namely:-

(i) The monitoring mechanism shall include review of the audit reports and performance; on site assessment of the auditors to ensure their competency of auditing the food safety management systems and the regulatory requirements; assessment of auditing agency on the basis of report of the accreditation body and any other mechanism as specified by the Food Authority.

14. Handling disputes.- (1)The Central or the State Licensing Authorities shall be the contact point for Food Business Operator to engage in case of any dispute or disagreement with auditors.

(2) In case of any non-cooperation or resistance to the working of the auditing agencies or auditors by food business operator, the same shall be referred to the Central or the State Licensing authorities for resolution.

15. Record keeping.- (1)The final conformance report and all other documents related to the audit conducted including the first audit report, actions taken and successive communications on rectification measures shall be preserved by the auditing agencies at least for a period of five years and full confidentiality of the documents shall be maintained.

(2) Food Business Operator shall maintain all records of audit findings and rectification for a period of five years.

SCHEDULE

Form A

(*See* sub-regulation 4(1), 5(3) and 6(1))

Application Form for Recognition/Renewal/Change in scope of Auditing Agency

Photo

(Authorised signatory in case of auditing agency)

<table>
<tr><td>1) Name of auditing agency:</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>2) Name of contact person:</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>3) Address(with Pin Code):</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>4) Contact Details:
a) Tel No.(with STD code)
b) E-mail of the contact person/Website address of the Organization (if any)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>5) Legal Entity Status (attach documentary evidence):</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">6) Detail of accreditation certificate (attach copy):</td><td colspan="5">Certificate No:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Validity up to:</td></tr>
<tr><td>7) Specialised areas of work:</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>8) Detail of auditors enrolled (attach copy):</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>9) Educational qualification of auditor</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">10) Training details of auditor (copy of certificate)</td><td rowspan="3">S. No</td><td rowspan="3">Title of course</td><td rowspan="3">Conducted/Organized by(Name and Address)</td><td colspan="2">Dates</td></tr>
<tr><td>From</td><td>To</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

11) Details of Inspection/audit conducted in last two years (food category wise)	
12) Any other information regarding food safety audit competency	
13) Recognition number : (in case of renewal)	

I (authorised signatory) ______________________________________S/o,

D/o__________________________________R/o____do

hereby solemnly affirm and declare that all information and particulars furnished here by me are true and correct to the best of my knowledge. I further declare that the food safety auditing to be conducted by me or through my auditor shall conform to the requirements of the Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2017.

Signature of authorised signatory with stamp

List of documents to be enclosed:

a) Application fee receipt/DD or pay order
b) Certificate of accreditation
c) Educational qualification certificate of all auditors.
d) Lead auditor course certificate.
e) Confidentiality agreement
f) A copy of the last assessment report by the accreditation body
g) Details of industry auditing experience of all auditors.

<u>Form 'B'</u>

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food

Recognition Number………………

Certificate of Recognition

(*See regulation 5*)

this is to certify that ………………..(name of auditing agency) has been recognised by the Food Safety and Standards Authority of India for the purpose of auditing of food business operators licensed under Food Safety and Standards Act, 2006 and subject to the Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018.

Name and address of auditing agency	Issued on/ renewed on	Valid up to	Scope

Note: This certificate must not be altered in any way. Intentional misuse of this certificate will result in cancellation without prior intimation.

Signature of Director with stamp

Form C

Declaration

[*See* sub-regulation (i) of regulation 12]

I__________________________________S/o, D/o ___________________________state that the food safety audit of M/s_______________________________________having license number ____________has been audited by my auditing agency. In this context, I hereby declare that:

a) my auditing agency or its personnel/auditor have not provided any training, guidance, Food Safety Certification or consultancy to and not carried out internal audits of the above said food business operator or any of its parent or subsidiary for last two years.

b) my auditing agency or its personnel/auditor does not own or have financial interest in, manage or otherwise control to the above said food business operators or any of its affiliate, parent or subsidiary.

c) my auditing agency or its personnel/auditor have not been employed by the above said food business operator for last two years.

d) my auditing agencyhas not carried out the food safety audit of the above said food business operator for more than three consecutive timesaudit.

Signature of authorised signatory /Auditor with stamp

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/EXTY/205/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.